जर्ये ई–मेल

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था0/2024/09 दिनांक : 07 03.2024

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : स्था0/2024/08 दिनांक 01.03.2024 के अनुसार **दिनांक 10 मार्च, 2024** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु क्रमशः **श्रीमती कमला बॉयला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बून्दी** की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसमें प्रशासनिक कारणो से आंशिक संशोधन करते हुये **दिनांक 10 मार्च, 2024** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी /पी सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु क्रमशः **श्री विकास नेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट केशोरायपाटन, जिला बून्दी** की ड्यूटी लगाई जाती है।

श्री विकास नेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट केशोरायपाटन, जिला बून्दी उपर्युक्त दिनांक 10 मार्च, 2024 को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करेगे। शेष रिमाण्ड डयूटी आदेश दिनाकित 01.03 2024 पूर्ववत लागू होगा :—

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमाक सामान्य/2024/ 574—583 दिनांक · 07 03.2024

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है .—

(1) श्रीमान् जिला एव सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी
(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रो के थानाधिकारियो को जे सी./पी सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियो मे नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करे।
(3) संबंधित पीठासीन अधिकारी. . .....
(4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी /पी सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करे।
(5) पुलिस कट्रोल रूम/ए डी.पी. ऑफिस बून्दी (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
(7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी
(8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा,बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)